L. A. BILL No. XCV OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC TRUST ACT, 1950.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९५ सन् २०२५।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, १९५० में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

सन् १९५० का २९।

क्योंकि इसमे आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के छिहत्तरवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक न्यास (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

सन् १९५० का २९ की धारा ५ में संशोधन।

सन् १९५० का २९।

२. महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, १९५० की, धारा ५की उप-धारा (२क) का खण्ड (ख)का उप-खण्ड (चार) अपमार्जित किया जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, १९५० (सन् १९५० का महा. २९) यह महाराष्ट्र राज्य में, लोक, प्रशासन, धार्मिक और धमार्थ न्यासों को विनियमित करने और बेहतर उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

२. उच्चतम न्यायालय ने, सभी भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारतीय संघ और अन्यों (२०२५ आय एन एस सी ७३५) के मामले में, दिनांक २० मई २०२५ के अपने न्यायनिर्णय में यह निर्णय दिया है कि, देश के सभी उच्च न्यायालय और राज्य सरकारें संबंधित सेवा नियमों में इस आशय से संशोधन करेंगी कि, सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) के पद के लिए परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा पात्र होने के लिए न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक वकालत का अनुभव होना आवश्यक है।

३. उक्त अधिनियम की धारा ५की, उप-धारा (२क) का खण्ड (ख) के उप-खण्ड (चार) यह उपबंध करता है कि, सहायक धर्मादाय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जानेवाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जो नया विधि स्नातक है और जिसने प्रथम प्रयास में ही विधि की उपाधि प्राप्त की, हो तथा स्नातक उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के अंतिम वर्ष की परीक्षा में कम से कम पचपन प्रतिशत से कम ना हो, अंक प्रात किए हैं।

सहायक धर्मादाय आयुक्त के कर्तव्यों और न्यायिक कार्यों के समान स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, और उच्चतम न्यायालय के निर्देशनों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, महाराष्ट्र सरकार ने उक्त अधिनियम की उक्त धारा ५ में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ नवंबर, २०२५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित २१ नवंबर, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.